30/6/17

आवेदक पत्रावली के साथ कोर्ट स्थगन में पेश हुआ प्रार्थी वकील उप. । अप्रार्थी केस की सूचना के बावजूद उप.गैर हुए। अप्रार्थी उप.गैर होने से प्रार्थी वकील को एकपक्षीय सुनवाई हेतु आदेश किया गया। प्रार्थिनी का प्रकरण प्रारंभिक स्तर से होने प्रा:पत्र स्वीकार किया जाता है पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14-08-2012 को अग्रिम बाद अन्तर्गत किया जाता है पत्रावली वर्ष 2 से कम होकर बाद तकमील दर्ज रजिस्टर की जावे। विविध केस कोर्ट में निकाय जाकर सुनाया गया।